संख्या-43/2018/2116 ई-2/तेरह-2018-46/2017

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 13 जून, 2018

विषय:- आबकारी नीति वर्ष 2018-19 में निर्धारित प्रशमन धनराशि के आरोपण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-07/2018/218 ई-2/तेरह-2018-46/2017, दिनांक 25 जनवरी,2018 द्वारा वर्ष 2018-19 के लिये आबकारी नीति का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7.4 में संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 की धारा-74 के अन्तर्गत प्रशमनीय अनियमितताओं के प्रकरणों में प्रशमन धनराशि में एकरुपता बनाये रखने की दृष्टि से क्षेत्रीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये जाने हेतु स्पष्ट प्राविधान करते हुये प्रशमन धनराशि का आरोपण निम्नानुसार किये जाने का प्राविधान किया गया है:-

क्र0	**अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार**	**प्रथम बार (रू0 में)**	**द्वितीय बार (रू0 में)**	**तृतीय बार (रू0 में)**
1	2	3	4	5
1	निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् दुकान का खुला पाया जाना।	2,500	3,000	5,000
2	अनधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुये पाया जाना।	5,000	7,000	10,000
3	स्टाक रजिस्टर मांगने पर न प्रस्तुत करना।	10,000	15,000	20,000
4	स्टाक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना।	5,000	10,000	15,000
5	बोतलों और पौव्वों या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रूफ कैप या सील से बिगाड़ करना।	10,000	15,000	20,000
6	अनुज्ञापित परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा प्रणाली/श्रिंक स्लीव अथवा बारकोड,	20,000	30,000	50,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	लेबुल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य अपायकर सामग्री का पाया जाना।			
7	बिक्री में वृद्धि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना।	5,000	7,000	10,000
8	ड्यूटी पेड स्टाक को अनधिकृत परिसर/ गोदाम में संचित करना।	20,000	25,000	30,000
9	लेखानुसार मात्रा से अधिक डयूटी पेड स्टाक का पाया जाना।	25,000	30,000	50,000
10	मदिरा का जलापमिश्रण/ तनुकरण पाया जाना/उच्च श्रेणी की मदिरा में निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण।	40,000	50,000	निरस्तीकरण की कार्यवाही
11	खुली मदिरा की बिक्री किया जाना।	5,000	10,000	15,000
12	मद्य निषेध दिवसों/बन्दी के दिनों में मदिरा की बिक्री किया जाना।	30,000	40,000	50,000
13	बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करना।	20,000	25,000	30,000
14	निर्धारित एम0आर0पी0 से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय।	10,000	20,000	30,000
15	अनुज्ञापित परिसर के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड न लगा पाया जाना। साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना।	5,000	10,000	20,000
16	दुकान में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना।	2,000	5,000	10,000
17	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक 01 से 17 तक पर अंकित न हो।	2,000	5,000	10,000

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी नीति वर्ष 2018-19 के प्राविधानों में अनियमितता/उल्लंघन पाये जाने पर उपरोक्तानुसार प्रशमन धनराशि के आरोपण हेतु कड़ाई से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।